जांच आख्या

सन्दर्भ संख्या-400150021011307, 400150021011308

सन्दर्भित शिकायत वर्ष 2020—21 के मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत यू0पी0एस0एस0, बरेली क्रय एजेन्सी के बाबा उपभोक्ता राहकारी समिति लि0 बरेली द्वारा संचालित बंजरिया जागीर एवं टाण्डा सादात गेहूँ क्रय केन्द्र पर कराये गये परिवहन का भुगतान शिकायतकर्ता श्री अहमद रजा पुत्र श्री फकीर अहमद निवासी ग्राम टाण्डा सादात को प्राप्त न होने से सम्बन्धित है।

जांच के क्रम में प्रकाश में आये तथ्यों के अनुसार "गत वर्ष 2020—21 के रबी क्रय योजनान्तर्गत गेहूँ खरीद हेतु परिवहन कार्य आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग उ०प्र० के कार्यालय पत्रांक 384/अ0310वि0/र0ख0/1185/2020—21/दिनांक 01.02.2020 तथा प्रमुख सचिव सहकारिता के आदेश पत्रांक 4939/दिनांक 02.03.2020 के निर्देशानुसार रबी विपणन वर्ष 2020—21 में गेहूँ के परिवहन हेतु परिवहन के ठेकेदार की नियुक्ति में ई—टेण्ड्रिंग की व्यवस्था की जानी थी, इस क्रम में क्रय एजेन्सी द्वारा समय—समय से ई—टेण्ड्रिंग की प्रक्रिया नहीं की गयी दिनांक 04.07.2020 को परिवहन ठेकेदार के रूप में श्री जितेन्द्र गुप्ता को वयनित किया गया। शिकायतकर्ता श्री अहमद रजा टाण्डा सादात गेहूँ क्रय केन्द्र पर प्रभारी के दायित्व का निवर्हन कर रहे थे। श्री रजा द्वारा अपने बयान में अवगत कराया गया कि समय से ठेकेदार की नियुक्ति न होने के कारण गेहूँ की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये क्रय केन्द्र टाण्डा सादात तथा बंजरिया जागीर के गेहूँ खरीद का प्रेषण एफ0सी0आई0 को कर, परिवहन कार्य किया गया। टेण्डरिंग प्रक्रिय में वयनित श्री जितेन्द्र गुप्ता अधिकृत ठेकेदार को क्रय एजेन्सी यू०पी0एस0एस0 द्वारा परिवहन की धनराशि का भुगतान किया गया है। श्री जितेन्द्र गुप्ता परिवहन ठेकेदार से दिनांक 11'06.2021 को परिवहन की समस्त धनराशि का भुगतान प्राप्त हो चका है तथा अब परिवहन से सम्बन्धित कोई भुगतान अवशेष नहीं है।"

उपरोक्तानुसार शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये बयान तथा नोटरी शपथ पत्र की छायाप्रति के आधार पर शिकायतकर्ता के परिवहन भुगतान सम्बन्धित शिकायत का निस्तारण किया जा चुका है।

संलग्नक:-शिकायतकर्ता के बयान तथा नोटरी शपथ पत्र की छायाप्रति दिनांक 16.06.2021

> जांच अधिकारी अपर जिला सहकारी अधिकारी तहसील सदर, बरेली

Chry